फर्द अहकाम

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

सरकार बनाम गोकलसिंह

दावा बाबत घोषणा

पत्र संख्या:- 20/2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
16.5.19	आज पत्रावली पेश हुई। सरकार पैरोकार तहसीलदार कोटपूतली उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि सरकार पैरोकार तहसीलदार कोटपूतली ने एक वाद घोषणात्मक बाबत ग्राम पवाना अहीर तहसील कोटपूतली के खाता संख्या 42 के खातेदारान के हिस्सा दुरूस्ती हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तल्ब किया। प्रतिवादीगण की तल्वी कार्यवाही के दौरान हमने पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट हुआ कि तहसीलदार कोटपूतली द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद अपूर्ण है तथा प्रश्नागत भूमि में खातेदारान का हिस्सा अधिक या कम होना पाया गया लेकिन इस संबंध में वाद पत्र में राजस्व रिकार्ड से या लिखित अभिकथन से कोई वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की। उक्त ऐसी स्थिति में वाद को इस न्यायालय के पत्रांक राजस्व कोर्ट/19/30 दिनांक 14.02.2019 द्वारा वापस लौटाकर वाद की पूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुए मय राजस्व रिकॉर्ड दस्तावेजात के साथ दावा पेश किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार कोटपूतली ने अपने लिखित अभिकथन पत्रांक भू.अ./19/1326 दिनांक15.05.2019 द्वारा प्रश्नागत प्रकरण के भूमि खाता संख्या 42 ग्राम पवाना अहीर तहसील कोटपूतली, जो अपवादित है को सेग्रीगेटेड किया जाकर निस्तारण किया जा चुका है तथा अब प्रकरण मे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। अतः तहसीलदार कोटपूतली के उक्त रिपॉर्ट के आधार पर वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली (जयपुर)	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Nanu Ram Saini
Date: 2019.11.11 14:09:50 IST
Reason: SelfAttested